न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 15/17

निर्णय दिनांक 17-11-17

1. साबुदीन पुत्र मोहम्मद खॉ जाति मुसलमान निवासी सत्तासर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. राजस्थान राज्य जरिये पैरोकार राज।

–रेस्पोडेन्ट्स

–2–

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ दिनांक 25.01.2017

उपस्थितः

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–01–2017 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. **(ए)** विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम सत्तासर के खसरा नम्बर 416 में 40 बीघा भूमि अपीलांट को दिनांक 22–09–1990 को आवंटित की गई। आवंटन के दिन से आज दिनांक तक वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा

काश्त चला आ रहा है। आवंटन के पश्चात् अपीलांट द्वारा कई बार अमलदरामद हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन दिये जाते रहे है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा अमलदरामद नहीं किया गया। तब अपीलांट को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करना पड़ा। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित आराजी जैर के जारीशुदा पट्टे की जॉच किये बिना पट्टे को कूटरचित मानने में भारी भूल की है। जबकि अपीलांट को आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा पट्टे की पूर्ण जॉच किये बिना, साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विधि का यह सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश से पूर्व संबंधित पक्षकार को साक्ष्य, सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आदेश पारित किया जाना होता है। अपीलांट के खिलाफ बार–बार नजायज काश्त की कार्यवाही भी की गई है। इससे स्पष्ट है कि आराजी जैर पर आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना आदेश पारित किया है। जबकि अदालत मातहत के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे उन पर कोई गौर नहीं किया गया। स्टेट का जवाब नहीं लिया गया। ना ही तनकीयात व ना ही वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवार दिया गया। अदालत मातहत का आदेश पक्षपातपूर्ण, स्वेच्छाधारी, व मनमाने तरीके से पारित किया गया आदेश है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। वह आवंटन की प्रकिया को नहीं जानता। अपीलांट को आवंटन का पट्टा जारी कर दिया गया व मौके पर कब्जा दिया गया। तभी से अपीलांट उसी जगह पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों पर गौर किये बिना यह अंकित करते हुए कि दिनांक 22–09–1980 का आवंटन राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया है। अतः इस आधार पर प्रकरण जारी रखना उचित नहीं है। वाद पत्र खारिज किया जाता है। जबकि पत्रावली उक्त दिनांक को तलबी में चल रही थी। पत्रावली में बहस की स्टेज ही नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुने बिना एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य होने से खारिज किया जावे।

उन्होनें मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील अंदर शुमार की जावे।

4. (ए) विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को किया गया आवंटन दिनांक 22—09—1980 राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है। अदालत मातहत द्वारा केवल इस आधार पर प्रकरण जारी रखना उचित नहीं समझा है। जब अपीलांट का आवंटन की खारिज हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अमलदरामद का प्रश्न ही नहीं उठता। अदालत मातहत का आदेश विधि अनुसार पारित किया गया आदेश है। अपीलांट ने अपील मियांद बाहर पेश की है। मियांद प्रार्थना पत्र में देरी को कण्डोन करने हेतु कोई ठोस कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किये गये है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट को ग्राम सत्तासर के खसरा नम्बर 416 की 40 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22—09—1990 को किया गया था। अपीलांट द्वारा कब्जे काश्त के आधार पर अमलदरामद हेतु वाद अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

(2) अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पत्रावली दिनांक 11—01—17 को तलबी के स्तर पर लम्बित थी। जिसमें आगे तारीख पेशी दिनांक 25—01—2017 नियत की गई थी। जब पत्रावली तलबी के स्तर पर लम्बित चल रही थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति के अपीलांट की वाद खारिज करते हुए प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। जो किसी भी प्रकार से उचित व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(3) अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के फर्द अहकाम के अवलोकन से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पत्रावली में स्टेट जो की आवश्यक पक्षकार (प्रतिवादी) है का जवाब निर्णय से पूर्व आवश्यक व महत्वपूर्ण था, नहीं लिया गया। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण दिनांक 09–01–2013 से लम्बित चल रहा था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करीब 4 वर्ष तक प्रकरण में न तो तनकीयात कायम की गई, न ही वादी की साक्ष्य ली गई। जबकि वाद के निर्णय में ह महत्वपूर्ण होता है कि अदालत मातहत स्टेट का जवाब प्राप्त करें व वादी को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें।

(4) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए थी, जिसकी चेष्टा अदालत मातहत द्वार पूरे प्रकरण के दौरान नहीं की गई है। तहसीलदार रिपोर्ट से ही यह तथ्य सामने आता कि वादगत् आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा दावे का निर्णय केवल मात्र यह अंकित करते हुए पारित कर दिया गया कि आवंटन दिनांक 22–09–1980 के आवंटन को राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः इस आधार पर प्रकरण जारी रखना उचित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य का खुलासा अपने निर्णय में नहीं किया कि राज्य सरकार के किस आदेश के तहत व किस दिनांक को उक्त आवंटन खारिज किया गया है। केवल मात्र संक्षिप्तः आदेश जारी किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायपरक आदेश नहीं कहा जा सकता।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–01–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए व स्टेट जो कि आवश्यक पक्षकार है, जवाब प्राप्त करते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 17-11-17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर